10 40

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :- **सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु–सीमा का निर्धारण।**

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक–2063, दिनांक 28.04.2006 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई थी :–

			विकलांगों के लिए
(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	– 40 वर्ष
(ii)	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	– 42 वर्ष
(iii)	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	– 43 वर्ष
(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	– 40 वर्ष	– 45 वर्ष

उक्त संकल्प दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक प्रभावी था।

2. विगत वर्षों में राज्य में बेराजगारी की समस्या को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को तत्काल अगले पाँच वर्षों अर्थात दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2015 तक यथावत् रखा जाय।

3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिये अधिकतम आयु–सीमा का विस्तार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5232, दिनांक 30.08.2010 द्वारा विशेष परिस्थिति में निर्गत किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेश: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
aditya 25/4/2011
(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए / नीति–07–11 / 2010 का॰– 2096 / राची, दिनांक 25/4/2011

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायी जाय। aditya 25/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए / नीति–07–11 / 2010 का॰– 2096 / रांची, दिनांक 25/4/2011

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

aditya 25/4/2011
सरकार के प्रधान सचिव।